UPLL100012052023

न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी, ललितपुर।

परिवाद संख्या–1094/2023

श्रीमती प्रकृति गुप्ता बनाम नीरज गुप्ता आदि

थाना –महरौनी, जिला ललितपुर।

दिनांक–30.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवाद साक्ष्य परिवादिनी अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं.में नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत परिवाद परिवादिनी श्रीमती प्रकृति गुप्ता द्वारा विपक्षीगण नीरज गुप्ता आदि के विरूद्ध योजित किया है। परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादिनी द्वारा स्वयं को धारा 200 दं.प्र.सं. में अभी तक परीक्षित नहीं कराया है। पत्रावली दिनांक 25.08.2023 से बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में नियत चली आ रही है परन्तु पर्याप्त अवसर देने के पश्चात भी परिवादिनी द्वारा अपने साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया, न ही वह स्वयं उपस्थित आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी उक्त परिवाद पर बल नहीं देना चाहती है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व साक्ष्य के अवलोकन से विपक्षी को तलब करने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त विवेचना तथा परिवाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये साक्ष्य के अभाव में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. के तहत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(नरेश कुमार दिवाकर)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महरौनी, ललितपुर।

Digitally signed by NARESH KUMAR DIWAKARA
Date: 2024.10.04 16:45:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court